

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक:- एफ.130/संस्थापन./प्रशिक्षण/2017-18/


दिनांक

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आवंटित बजट प्रावधानों के विपरीत व्यय की समीक्षा करने पर प्रावधानों के विपरीत व्यय की स्थिति निराशाजनक पायी गयी तथा अधीनस्थ कार्यालयों में बजट से सम्बन्धित आवश्यक रजिस्ट्रों का संधारण नहीं होना पाया गया। अतः विभाग द्वारा समस्त अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र, संयुक्त निदेशक एवं विभाग के अन्य समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों मय लेखाकर्मी का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 17.10.2017 को राजस्थान राज्य पशुधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जामडोली (जयपुर) में आयोजित किया जाएगा।


अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण स्थल पर प्रातः 9.00 बजे प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रशिक्षण कार्यक्रम


रमेश साखला
वित्तीय सलाहकार
(डा. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.13()/संस्थापन./प्रशिक्षण/2017-18/ 5241-81 दिनांक 6-10-17
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहा हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र/समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके क्षेत्र/जिले में अन्य विभागीय आहरण एवं वितरण अधिकारियों को मय लेखाकर्मी के उपस्थित होने हेतु आपके स्तर से सूचित करावें।
2. संयुक्त निदेशक, राजस्थान राज्य पशुधन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जामडोली को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण हेतु आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दो बार चाय, लंच एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करावें, उक्त व्यय RKVY मद से व्यय किया जावें।
3. निजी सचिव, निदेशक पशुपालन विभाग, जयपुर
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) पशुपालन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट अपलोड करावें।
5. संबन्धित कार्मिक श्री को पालनार्थ प्रेषित है।


(रमेश साखला)
वित्तीय सलाहकार

By:
Kindly upload
for 17/10/17

प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण का समय	संदर्भ व्यक्ति	समय
1.	उद्घाटन एवं विभागाध्यक्ष का उद्बोधन	डॉ. अजय कुमार गुप्ता, निदेशक पशुपालन	9:30 से 10:00
2.	बजट निर्माण सम्बन्धी प्रावधान	1. श्री रमेश साँखला, वित्तीय सलाहकार 2. श्री विष्णु गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी- I 3. श्री गोपाल सैनी, सहायक लेखाधिकारी-II 4. श्री प्रेमप्रकाश जयसवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	10:00 से 11:30
टी-ब्रेक			11:30 से 11:45
3.	बजटीय लेखों का संधारण	1. श्री गोपाल माली, सहायक लेखाधिकारी-II 2. श्री प्रेमप्रकाश जयसवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	11:45 से 1:15
लंच ब्रेक			1:15 से 2:00
4.	उपापन सम्बन्धी नियमों की जानकारी	1. श्री रमेश साँखला, वित्तीय सलाहकार 2. श्री दीनदयाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी- II	2:00 से 3:30
टी-ब्रेक			3:30 से 3:45
5.	अनुपयोगी सामग्री निस्तारण सम्बन्धी जानकारी	1. श्री हरिशंकर शर्मा, लेखाधिकारी 2. श्री रामसहाय बैरवा, सहायक लेखाधिकारी- I	3:45 से 5:00
6.	शासन सचिव माहदेय के द्वारा ऑडिट कमेटी की बैठक में 25% आक्षेप निरस्त कराने हेतु ऑडिट आक्षेप संबंधी अनुपालनाएँ प्राप्त करना	1. महालेखाकार की अनुपालनाएँ - श्री मालीराम वर्मा 2. आंतरिक अंकेक्षण - श्री अशोक कुमार मीना	5:00 से 5:30

नोट:- संदर्भ व्यक्तियों में उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।


 रमेश साँखला
 वित्तीय सलाहकार